निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :87/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नाथूलाल पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति जाट,
2. महादेव पुत्र श्री बिरदू राम जाति जाट,
3. रामस्वरूप पुत्र श्री सुवालाल जाति यादव,

   निवासी ग्राम पोस्ट राजपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मनमोहन मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
3. साधूराम पुत्र हरनाथ,
4. भरतमल पुत्र हरनाथ,
5. कालूराम पुत्र हरनाथ,

   जाति अहीर, निवासियान ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2017 ब उनवानी सरकार बनाम भरतमल व अन्य को अग्रिम सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र देगड़ा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जगदीश प्रसाद जाट अधिवक्ता नृसिंह लाल की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2017 ब उनवानी सरकार बनाम भरतमल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में नृसिंह लाल कपूरिया पुत्र श्री पन्नालाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील शाहपुरा ने आदेश 01 नियम 10 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4\. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध गलत रूप से कुछ लोगों को नाजायज राजनैतिक प्रभाव से मिल कर प्रस्तुत किया है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेश की पालना किये बिना मनमाने रूप से बिना मौके पर गये बिना नाप-जोख व बिना सीमाज्ञान किए एवं कुछ लोगों के नाजायज प्रभाव में आकर बिना प्रार्थीगण को सुनवाई एवं नोटिस दिये वस्तु स्थिति के विपरीत गलत रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी नृसिंह लाल पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठ कर प्रस्तुत पत्रावली मंगवा कर राजनैतिक एवं प्रशासनिक दबाव बना कर प्रस्तुत प्रकरण बाबत अप्रार्थीगण के बारे में बाते करते है तथा उन्होंने अप्रर्थीगण को स्पष्ट धमकी दी है कि प्रस्तुत मामले में मनमर्जी एवं गलत रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत करवा दी है तथा शीघ्र ही राजनैतिक एवं प्रशासनिक दबाव बना कर अपने मिलने वाले प्रशासनिक अधिकारियों से टेलीफोन करवा कर फैसला करवा लेगा, इस प्रकार की गांव में चर्चा करता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से अप्रार्थीगण को कतई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण को अन्य समकक्ष राजस्व न्यायालय में अन्तरण किया जाना न्याय संगत एवं उचित है। पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि न्याय प्रदान करने के साथ साथ प्रदान करते हुये वास्तविक रूप ये दिखाई दिया जाना चाहिये, किन्तु गत तारीख पेशी 7.04.2022 को जिस ढंग से उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा खुली अदालत में यह कहा कि मुझे तो उक्त प्रकरण में किसी भी स्थिति में राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुये आम जनता के लिए रास्ता खुलवाना ही है, तो प्रार्थी के अभिभाषक श्री रवि शंकर जी अग्रवाल जी ने बड़ी मुश्किल से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.04.2022 हुई एवं पीठासीन अधिकारी के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को यह युक्ति युक्त आशंका एवं भय उत्पन्न हो गया है कि उन्हे उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय नहीं मिल सकेगा। इस कारण उक्त प्रकरण 67/2017 उनवानी सरकार बनाम नथमल व अन्य को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के न्यायालय से जयपुर जिले के किसी भी सम्बधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जिससें प्रार्थीगण को उचित, सही एवं वास्तविक न्याय की प्राप्ति हो सके। विपक्षी पक्षकारों ने दिनांक 13.04.2022 को जब प्रार्थीगण को एलानियां रूप से इस धमकी के शिकार हुये कि हम तुम्हारे खेतों में से मौके पर रिकार्ड में तुम्हारी ढ़ाणियों का आने जाने का रास्ता बंद करवाते हुए उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा नया रास्ता नाप जोख कर निकलवायेंगे। प्रार्थीगण को यह भी आशंका उत्पन्न हो गई है कि उन्हें इस पीठासीन अधिकारी से तो कतई न्याय नहीं मिल सकेगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5\. प्रकरण में दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थी नृसिंह लाल द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जो अप्रार्थीगण है उनके खिलाफ कोई आक्षेप नहीं लगाया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में नृसिंह लाल आवेदक के खिलाफ असत्य व अधारहीन आक्षेप लगाते हुए उसे व उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में मुख्य रूप से अनर्गल व आधारहीन आक्षेप आवेदक के खिलाफ लगाये गये है इसके बावजूद नृसिंह लाल को आवश्यक व प्रोपर पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही अन्य हितधारी लोगों को पक्षकार बनाया गया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

लगाये गये आरोप के समर्थन में ना तो शपथ पत्र पेश किया गया है तथा ना ही किसी गवाह का नाम दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने की नीयत से काल्पनिक व आधारहीन आक्षेप लगाते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। नृसिंहलाल को प्रोपर पक्षकार बना कर रिकार्ड पर लाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण ने मुख्य रूप से नृसिंह लाल पर पीठासीन अधिकारी से साज किये जाने का आरोप लगाया है। नृसिंहलाल अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार भी है, फिर भी उसको मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण ने मूल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। नृसिंहलाल का प्रार्थना आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण ने कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. प्रार्थीगण का मुख्य आरोप यह है कि उन्हे सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है और जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह भी प्रार्थीगण को बिना सूचित किये उनकी अनुपस्थिति में बनाई गई है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण एवं मैरिट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण यथा सम्भव दो माह में करे।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सजना विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर